70

प्रधान कार्यालय
सतर्कता शाखा,
सूबेदारगंज
प्रयागराज

# उत्तर मध्य रेलवे

प्रणाली सुधार सं- 05/2020

पत्र सं.- 20200201150/PC/V2/N/ALD

दिनांक: 24.09.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
उत्तर मध्य रेलवे ,
प्रयागराज ।

विषय : - रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंसी खान-पान स्टॉलों, फ़ूड प्लाजा ,पे एंड यूज शौचालयों इत्यादि से पानी का बिल वसूलने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- कैटरिंग पॉलिसी 2010 एवं पे एंड यूज पॉलिसी सर्कुलर संख्या 46 दिनांक 07/06/2006 ।

रेलवे स्टेशनों पर स्थित लाइसेंसी खान-पान स्टॉलों, फ़ूड प्लाजा, पे एंड यूज शौचालयों इत्यादि से उपरोक्त पॉलिसी के अनुसार अनुबंध के आधार पर सम्बन्धित लाइसेंसी से वास्तविक खर्च के अनुसार पानी का बिल वसूल किया जाना है। परन्तु एक जाँच के दौरान यह पाया गया कि IRCTC संचालित एक रिफ्रेशमेंट रूम में पानी का न तो मीटर लगा था और न ही पानी के बिल की वसूली की जा रही थी । लाइसेंसी वर्ष 2015 से उक्त रिफ्रेशमेंट रूम का संचालन कर रहा था। जानकारी के अभाव में सम्बन्धित सी.से.इंजी./कार्य द्वारा उक्त लाइसेंसी के पक्ष में पानी का बिल जारी नहीं किया गया था इस सम्बन्ध में यह भी पाया गया कि पॉलिसी के अनुसार पानी के वास्तविक खर्च की माप एवं गणना कैसे करनी है,ऐसा कोई दिशानिर्देश मुख्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है । जाँच के दौरान प्रकरण नोटिस में आने पर सम्बन्धित सी.से.इंजी./कार्य द्वारा रिफ्रेशमेंट रूम में पानी का मीटर न लगा होने के चलते औसत खर्च के अनुसार क्षेत्रीय नगर निगम से रेट प्राप्त कर मासिक आधार पर लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष मार्च 2015 से मार्च 2020 तक का पानी का बिल जारी किया गया, जिसको लाइसेंसी द्वारा जमा कर दिया गया है। स्पष्ट है कि पानी का बिल जारी करने व वसूली की प्रक्रिया प्रचलन में न होने के कारण रेलवे राजस्व की हानि हो रही है ।

उपरोक्त के आलोक में यह सुझाव दिया जाता है कि फील्ड यूनिटों/मंडल कार्यालयों द्वारा पानी का बिल जारी करने के सम्बन्ध में समरूपता हेतु पॉलिसी के अनुसार वास्तविक खर्च की माप एवं गणना करने तथा बिल वसूली करने संबंधी उचित दिशा निर्देश मुख्यालय से जारी किये जाये ताकि भविष्य में राजस्व की हानि से बचा जा सके व सभी बकाया पानी के विलों की शीघ्र वसूली की जा सके।

24/9
(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी /इंजी.

प्रतिलिपि :- मंडल रेल प्रबंधक आगरा, झाँसी व प्रयागराज को सूचनार्थ एवं अपने अधीन समस्त बकाया पानी के बिल जारी कर वसूली सुनिश्चित कराने हेतु।